राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 05/परीक्षा/ वरिष्ठ अध्यापक/माध्यमिक शिक्षा/2013–2014 **दिनांक : 02.08.2013**

*1. आयोग द्वारा पूर्व में जारी **विज्ञापन संख्या–3/11–12 दिनांक 28.06.2011** के अन्तर्गत **वरिष्ठ अध्यापक (प्रारम्भिक) प्रतियोगी परीक्षा, 2011** की विज्ञप्ति को **प्रत्याहारित (Withdraw)** कर निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं–*

***वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II प्रतियोगी परीक्षा, 2013** (राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत)*

पद एवं विभाग का नाम –द्वितीय श्रेणी अध्यापक,उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये।

विषय	कुल पद	योग्यताएं
गणित	2213	1. Graduate or equivalent Examination with concerned subject as optional subject and Degree or Diploma in Education recognised by National Council for Teacher Education 2. Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and Knowledge of Rajasthani culture.
अंग्रेजी	1829	
हिन्दी	1735	
संस्कृत	483	
पंजाबी	8	
गुजराती	2	
उर्दू	39+99	
विज्ञान	2062	1. Graduate or equivalent Examination with at least two of the following Subjects as Optional Subjects: **Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-Chemistry** and Degree or Diploma in Education recognised by National Council for Teacher Education 2. Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and Knowledge of Rajasthani culture.
सामाजिक विज्ञान	706	1. Graduate or equivalent Examination with at least two subjects out of the subjects- **History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy** as optional subjects and 2. Degree or Diploma in Education recognised by Government of Rajasthan. 3. Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and Knowledge of Rajasthani culture.

आयु (सभी पदों के लिये) :–दिनांक 01.01.14 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

वेतनमान (सभी पदों के लिये) :– रनिंग पे–बेण्ड संख्या–2 (9300–34800), ग्रेड–पे रुपये 3600/–

नोट :–परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

स्पष्टीकरण:– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या–3/11–12 दिनांक 28.06.2011 के अन्तर्गत आवेदक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नोटः–

चूंकि आयोग द्वारा इस पद हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या–3/11–12 दिनांक 28.06.2011 को प्रत्याहारित (Withdraw) किया गया है, अतः जिन आवेदकों ने इन पदों हेतु पूर्व में आवेदन किया है ऐसे अभ्यर्थी ध्यान दें–

1. जिस वैकल्पिक विषय के साथ उन्होंने आवेदन किया था, यदि वह उसे ही अपनी शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अपना नवीन विषय पद रखना चाहता है, तो आयोग द्वारा उसे स्वतः मान्य कर दिया जाएगा। इसकी सूचना हेतु अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गये मोबाईल पर तदनुरूप एस.एम.एस. भी भेजे जाएंगे। इस प्रकार उन्हें उस विषय पद हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
2. जो आवेदक अपना वैकल्पिक विषय परिवर्तित कर नवीन विषय पद में आवेदन करना चाहते हैं, वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र क्रमांक भरते हुए विषय परिवर्तित कर लें।
3. जो आवेदक अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं, वे आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर अपना बैंक अकाउण्ट एवं विस्तृत विवरण भर दें। यह लिंक एक सप्ताह तक (दिनांक 01–10–2013 से 07–10–2013 तक) क्रियाशील रहेगा। समय पर आवेदन वापसी की सूचना न देने वालों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाना संभव नहीं होगा।
4. जो आवेदक विषय परिवर्तन अथवा फीस वापसी की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते हैं, वे नया आवेदन पृथक रूप से भी भर सकते हैं।
5. यदि कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र कमांक भूल गया है तो वेब–साइट से अपना **टोकन नम्बर** और **जन्म तिथि** भरकर आवेदन–पत्र कमांक की जानकारी कर सकता है।
6. **वर्तमान में आयु की गणना दिनांक 01.01.2014 को की जाएगी, किन्तु जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञापन के तहत आवेदन कर चुके है वे यदि दिनांक 01.01.2012 को आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा।**

2. अनेक पदों के लिए आवेदन– यदि कोई अभ्यर्थी **वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II** के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन–पत्र का **आवेदन पत्र क्रमांक** (Application ID) अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिये प्रथम प्रश्न–पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु उन्हें पृथक–पृथक परीक्षा देनी पड़ेगी। **यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है, तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जाएगा।**

3. आयु सीमा में छूट :– पद की विहित आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगीः–

1. इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।
2. ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है–

क.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :–राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है :–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

नोट:–''उक्त प्रावधान में दिए गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से सम्बन्धी प्रावधानों में तत्सम्बन्धी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।''

3. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
4. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
5. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
6. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
7. कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
8. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में आयु सीमा 40 वर्ष तक होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
9. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
10. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के दौरान् पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
11. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में निहित प्रावधान के तहत् "भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध उनकी ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।"

नोट:–उपरोक्त आयु के पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 2 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

4. परीक्षा योजना :–

PAPER – I

For the competitive examination for the post of senior teacher :-

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :-

(i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.	80 marks
(ii) Current Affairs of Rajasthan	20 marks
(iii) General knowledge of world and India	60 marks
(iv) Educational Psychology.	40 marks
	Total 200 marks

5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

PAPER – II

A. For the post of Senior Teacher :-

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 Hours 30 Minutes
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :-

(i)	Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.	180 marks
(ii)	knowledge of graduation standard about relevant subject matter	80 marks
(iii)	Teaching methods of relevant subject.	40 marks
		Total 300 marks

5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

5. **आवेदन तिथि :–आवेदन 12 अगस्त, 2013 से दिनांक 30 सितम्बर, 2013 रात्रि 12–00 बजे तक के मध्य भरे जा सकेंगे।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।
6. **परीक्षा तिथि**–इन पदों की परीक्षा की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र रखी जाएगी।
7. **परीक्षा का स्थान**– परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है।
8. **विस्तृत पद संख्या व पाठ्यक्रमः**– . शासन से रिक्त पदों का संशोधित विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। **आर**क्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इन पदों के पाठ्यक्रम आयोग की वेब–साईट पर शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे।
9. **अन्य बिन्दु व सूचना :–परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.01.13** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।** इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव